HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8759/2026
CNR: RJHC010625122026
URN: CRLMB / 19040U / 2026

Nitin Jain S/o Madan Lal Jain, Aged About 42 Years, R/o Room Number 305 3Rd Floor Madhuban Building, Near Hakoba Company, Ps Kalchoki Mumbai, Maharashtra At Present Residing At Flat Number 502, 5Th Floor, Lumina Building,vinay Nagar, Meera Road East, Ps Kashimeera Mumbai Maharashtra. (Presently Lodged At Central Jail,jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pravin Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Sonu Manawat, PP Mr. Vinod Solanki

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

15/07/2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना **सरदारपुरा, जिला जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **226/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **319(2), 316(2), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में रूकमणी ज्वैलर्स के जीएसटी नंबर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, जिसके मालिक के कोई बयान इस मामले में नहीं है। रूकमणी ज्वैलर्स का मालिक प्रार्थी/अभियुक्त नहीं है। मोबाईल नंबर 9904808119 प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं है। यह फोन नंबर किसका है इस बात की तस्दीक पुलिस द्वारा नहीं की गई है। पार्सल प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोरियर सर्विस वालों से नहीं लिया गया। पार्सल प्रार्थी/अभियुक्त के पास आया हो इस बात का कोई गवाह नहीं है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की

सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अन्य प्रकरण भी इसी प्रकार की घटनाओं से संबंधित है। जिस मोबाईल नंबर से बात होना बताई गई उसे तोड़ दिया जाना पुलिस द्वारा पाया गया है। ऐसी अवस्था में गंभीर प्रकृति का मामला होना बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली/केस डायरी का अवलोकन किया। इस मामले में रूकमणी ज्वैलर्स के मालिक फूलाराम तफ्तीश में होना पाया गया परन्तु उसके बयान पुलिस द्वारा नहीं लिये गये। प्रार्थी/अभियुक्त को कोरियर सर्विस वाले द्वारा पैकेट उपलब्ध करवाया जाना नहीं पाया गया है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त **नितिन पुत्र मदनलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

26/SN Lohra/336